13/8/13

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर

(सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011)

ज्ञापांक ..../अभि0 दिनांक ....

अल्पकालीन सूचना

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 अन्तर्गत सरकार के निदेशानुसार निर्धारित कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस जिले के प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 24.08.13 को पूरे जिले में एक साथ कराया जाना है। इस हेतु अभिकरण कार्यालय द्वारा पूरे जिले के प्रारूप प्रकाशन एवं फाईनल प्रारूप सूची से संबंधित सी0डी0 (PDF Format) में उपलब्ध कराया जायेगा। ड्राफ्ट सूची एवं अंतिम सूची का मुद्रण तीन प्रतियों में किया जाना है। मुद्रण हेतु दर सरकार से निर्धारित है एवं किसी प्रकार का भूगतान उसी निर्धारित दर के आधार पर होगा जो प्रति पेज प्रिंटिंग का दर @ ₹3.00 एवं फोटो कॉपी का दर @ ₹0.50*2 अर्थात कुल तीन प्रतियों का दर ₹4.00 देय होगा। उक्त कार्य कार्यालय के द्वारा जिस दिनांक को सी0डी0 उपलब्ध कराया जायेगा उसके तीन दिनों के अन्दर मुद्रण करा कर संबंधित प्रखण्डों में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी प्रकार का भाड़ा देय नहीं होगा।

अतः उपर्युक्त कार्य हेतु इंच्छुक संस्था निम्नांकित शर्तों के अधींन दिनांक 14.08.13 के अपराह्न 5.00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर के कार्यालय में आकर कार्य करने से संबंधित अपना प्रस्ताव एवं सहमति पत्र देना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्ताव एवं सहमति पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

शर्तें निम्नांकित हैः–

1. सस्था को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम से कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर संख्या (PAN No.) देना होगा। अद्यतन Audit and Balance Sheet के साथ कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख टर्न ओवर का Audit Report संलगन करना होगा।
2. संस्था को सेवा कर एवं बिहार Shop and Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।
3. प्रस्ताव एवं सहमति के साथ उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पक्ष में 10,000 (दस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. आवंटित कार्य के Sub-contracting की अनुमतिं किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

5. कार्य आवंटन होने के उपरान्त इसे जिला मुख्यालय में संपादित करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कार्य जिला के बाहर नहीं कराया जायेगा।

6. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

7. कार्य संपादन उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पूर्ण नियंत्रण में करना होगा। भुगतान के पूर्व किये गये कार्य की गुणवत्ता/मात्रा/विशिष्टियों का सत्यापन/जांच की जायेगी। तदुपरान्त भुगतान किया जायेगा।

8. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत की दर से संबंधित संस्था के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत की राशि जब्त कर संस्था को काली सूची में डाल दी जायेगी।

9. उपरोक्त शर्तो के अलावे समय–समय पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तो/निर्देशों का पालन करना होगा।

10. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से आवंटन प्राप्त होने पर भी किये गये कार्यो का भुगतान किया जायेगा।

11. उपर्युक्त कार्यक्रम में किसी भी तरह का निर्णय करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

ह0/–

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर

ज्ञापांक 1244 /अभि0 दिनांक 12/8/13

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर आम जनता के सूचनार्थ चिपकाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर